सं0सं0-2/सा०सु०(NAPDDR)-योजना-01/2019/............

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

1290
20.1.20

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय: **मादक द्रव्यों के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना के तहत नशा निवारण शिक्षा तथा जागरूकता अभियान, संसाधन सृजन, इलाज एवं पुर्नवास, गुणवत्ता मानकीकरण, वंचित समूह को कौशल विकास आदि कार्यकम की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के तहत नशा निवारक शिक्षा तथा जागरूकता अभियान, संसाधन सृजन, इलाज एवं पुनर्वास, गुणवत्ता मानकीकरण, वंचित समूह के लिए कौशल विकास आदि कार्यक्रम है।

2. नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) वर्ष 2018-23 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर कार्ययोजना निर्माण के लिए मुख्य प्रावधान है :- (1) निवारक शिक्षा एवं जागरूकता निर्माण (2) क्षमता निर्माण (3) इलाज एवं पुनर्वास (4) गुणवत्ता–माप निर्धारण (5) संवेदनशील क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित हस्तक्षेप (6) कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा, आजीविका समर्थन (7) नशे की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम (8) सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन, अनुसंधान एवं नवाचार (9) परियोजना प्रबंधन (10) अन्य कोई नवाचारी प्रावधान। National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) (2018-23) के तहत वर्ष 2018-19 के लिए 2.25 करोड़ रू0 का आवंटन माह फरवरी, 2019 में किया गया है जिसमें 1.125 करोड़ रू0 राशि विमुक्त की गयी है।

3. **मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना** (NAPDDR) (2018-23) में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार से राशि प्रावधानित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.25 करोड़ रू0 प्रावधानित है एवं 2019-20 के लिए 1.84 करोड़ रू0 प्रावधान किया गया है। विदित हो कि यह योजना पॉच वर्षो के लिए संचालित की जा रही है।

4. योजना संबंधित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष 02 समाज कल्याण-200 अन्य कार्यक्रम 0201 तथा 0301- मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति, विपत्र कोड 51-223502200201 तथा 51-223502200301 के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उदव्यय/बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त स्वीकृति राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति मद में वितीय वर्ष 2019-20 में कुल 184.00 लाख रूपया प्रावधानित है जिसके विरूद्ध 112.50 लाख का वितीय उपबंध प्राप्त है।

8. मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना के तहत नशा निवारण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, संसाधन सृजन, इलाज एवं पुनर्वास, गुणवत्ता मानकीकरण, वंचित समूह को कौशल विकास आदि हेतु मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति योजना की स्वीकृति के साथ ही व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- सं0सं0-2/सा०सु०(NAPDDR)-योजना-01/2019/...02... पटना, दिनांक 15/01/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/1/20

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।